has cautioned Municipal Corporation of Delhi (MCD) and Police Authorities to take action against the unauthorised construction and coloniser, who are trying to carve out plots to start unauthorised construction.

MCD have reported that unauthorised constructions are in the shape of boundary walls on agricultural land land, as soon as any unauthorised construction is detected action is taken to book/demolish the same after following due process of law. 6 and 7 boundary walls were removed by MCD on 20-10-1991 and 21-4-1992 respectively. On 4-9-93, 50 boundary walls and 10 rooms with boundary walls were also demolished.

**Barrage Across River Ganga in Kanpur**

1726. DR. ISHWAR CHANDRA GUPTA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the amount sanctioned by the Central Government for the completion of the barrage across river Ganga in Kanpur city ;

(b) the total cost required for the completion of the barrage and the amount likely to be shared by the Central Government; and

(c) when was the construction of the project started and the time of its completion ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) No amount has been sanctioned by the Central Government.

(b) Total cost of the barrage as worked out by the Government of Uttar Pradesh is Rs. 200 crores, out of which Rs. 100 crores is likely to be shared by the Central Government.

(c) Construction of the project has not yet started but as informed by the State Government. It is envisaged that it will take six years for its completion.

**बहुमंजिली इमारतों में आग से सुरक्षा संबंधी उपाय**

1727. श्री राम नरेश यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विशेषकर कनाट प्लेस के आसपास ऐसी कितनी बहुमंजिली इमारतें हैं जहां आग से सुरक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और इन इमारतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन इमारतों को अग्निकांड से बचाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए है; और

(ग) सरकार अग्निकांड न होने देने के लिए इन इमारतों के मालिकों को कौन-कौन से निर्देश देने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली अग्नि शमन सेवा द्वारा किए गए अन्ततम सर्वेक्षण के अनुसार कनाट प्लेस के चारों ओर 22 भवनों सहित दिल्ली में 107 बहुमंजिली इमारतें असुरक्षित है । ऐसे भवनों के ब्यौरे संलग्न विवरण "क" तथा "ख" में दिए गए हैं । (नीचे देखिए) ।

(ख) दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने दिल्ली अग्नि शमन तथा अग्नि सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत मालिकों/कब्जाधारियों को 12 अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने के लिए समय-समय पर नोटिस जारी किए थे ।

(ग) सरकार द्वारा ऐसे भवनों के मालिकों को किसी प्रकार के निर्देश दिये जाने की आवश्यकता नहीं है तथापि, उपर्युक्त भाग (ख) में बताये अनुसार दिल्ली अग्नि सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई करने के अतिरिक्त दिल्ली अग्नि शमन सेवा प्रत्येक वर्ष अग्नि सेवा सप्ताह के दौरान प्रदर्शन और व्याख्यानों का आयोजन कर रहा है।